सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
Visakhapatnam – 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in

OFFICE ORDER NO. 12/2023

विशाखापट्टणम क्षेत्र के मुख्य आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती होने और कार्यालय आदेश संख्या 08/2023 दिनांक 09.06.2023 जारी होने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिकारी तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक सीआरयू को सौंपे गए सभी कार्यों का निर्वहन करेंगे: -

Consequent upon transfers and posting of officers to Office of the Chief Commissioner of Visakhapatnam Zone and issue of Office Order No.08/2023 dated 09.06.2023, the following officers shall discharge all functions assigned to the CRU with immediate effect and until further orders.

सं क्र **Sl No.**	सी.आर.यू के नियमित प्रभार के साथ आवंटित अधिकारी का नाम **Name of the officer allotted with regular charge of CRU**	लिंक आधिकारी 1 **Link Officer 1**	लिंक आधिकारी 2 **Link Officer 2**
1.	पी गणेश गुप्ता, क.स P Ganesh Gupta, TA	विवेक आशुलिपिक ग्रेड - I Vivek Steno Gr I	जी मनीष, क.स G Manish, TA
2.	पी प्रशान्त, अवर श्रेणी लिपिक P Prashant, LDC	पी सुरेश, हवलदार P Suresh, Havaldar	जी मनीष, क.स G Manish, TA

2. **सीआरयू के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त विवरण :**
   Brief description of functions and responsibilities of CRU:

i. सीआरयू डाक की प्राप्ति पर तुरंत दिनांकित मोहर लगाएगा। इसके बाद डाक को ई-ऑफिस में स्कैन और डायराइज किया जाएगा। सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया डायरी नंबर डाक पर नोट किया जाएगा। डायरीकृत डाक ई-ऑफिस के माध्यम से उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसे वह संबोधित है। हालाँकि, गोपनीय/गुप्त डाक सीआरयू द्वारा नहीं खोली जाएगी और उसे प्राप्तकर्ता को भेज दी जाएगी, जो आवश्यकता के अनुसार उसे खोलेगा और डायरी करेगा या उनके निजी सहायकों द्वारा उसे डायरी में दर्ज किया जाएगा।

ii. सीआरयू सभी भौतिक डाक को कालानुक्रमिक रूप से एक फ़ाइल फ़ोल्डर में बनाए रखेगा। समय-समय पर, फ़ोल्डर को सिल दिया जाएगा और सीआरयू द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि किसी शाखा या अनुभाग को किसी डाक की आवश्यकता है, तो उसे सीआरयू से एकत्र किया जाएगा। ऐसे मामले में, सीआरयू डाक के पहले पृष्ठ की एक फोटो कॉपी रखेगा और डाक प्राप्त करने वाले व्यक्ति से उस पर प्राप्ती रसीद लेगा।

iii. आगे प्रेषण के लिए "सीआरयू द्वारा प्रेषण" विकल्प के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए डाक को 'प्राप्त' करके भौतिक पत्राचार का प्रेषण भी सीआरयू द्वारा किया जाएगा ।

i. CRU will put a dated stamp on the dak immediately on its receipt. Thereafter, it will be scanned and diarized in e-Office. The diary number generated by

the system will be noted on the dak. The diarised dak shall be sent through e-Office to the person to whom it is addressed. However, confidential/secret dak will not be opened by CRU and will be forwarded as received to the addressee who will open and diarise the same as per requirement or will be diarized by their personal assistants.

ii. CRU will retain all physical dak chronologically in a file folder. At periodical intervals, the folder will be stitched & kept safely by CRU in its custody. If any dak is required by a branch or section, it will be collected by them from CRU. In such a case, CRU shall keep a photo copy of the first page of the dak and take receipt on it from the person receiving the dak.

iii. Dispatch in physical mode will also be done by CRU, who will 'receive' dak sent to it by the users through option "Dispatch by CRU" for further dispatch

3. उपरोक्त उल्लिखित लिंक अधिकारियों के संदर्भ में कार्यालय आदेश संख्या 08/2023 दिनांक 09.06.2023 द्वारा आवंटित अपने प्रभारों के अतिर्कत सीआरयू के प्रभार दिए जाते हैं।

The Link officer charges as mentioned above are in addition to the regular charges allocated vide Office Order No. 08/2023 dated 09.06.2023.

4. यह आदेश मुख्य आयुक्त के कार्यालय में सीआरयू के संबंध में पहले जारी किए गए सभी आदेशों का स्थान लेता है।This order supersedes all earlier CRU orders issued in CCO (VZ).

5. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

6 . यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

Signed by Sreekanth Musuluru
Date: 10-07-2023 07:44:27
Reason: Approved

(एम श्रीकान्त / M. Sreekanth)
अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from File No.I/(5)/1/2020-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में
संबंधित व्यक्तियों को।

To
The Individuals

प्रतिलिपि / Copy to:

1. मुख्य आयुक्त के निजि सहायक / The PA to CC
2. सहायक आयुक्त, मु.आ.का / The Assistant Commissioner, CCO (VZ)
3. ईएमजी प्रबंधक, मु.आ.का / The EMD Manager CCO (VZ)
4. मु.आ.का के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को / All Officers and staff of CCO (VZ)